तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 12/2025 बअनवान घमण्डाराम वगैरा बनाम लुम्बाराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

–:आदेश:–

दिनांक 26.08.2025

उपस्थितिः–

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री जोगाराम पोटलिया
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से श्री नारायण कुमावत

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। बिना किसी ठोस कारण के ही रास्ते के आवेदन में धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करना अधीनस्थ न्यायालय की न्याय प्रदान करने के विपरीत मंशा को जाहिर करता है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। विधि अनुसार रास्ते के प्रकरण को मात्र 90 दिवस की अवधि में ही निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई आधार के अपीलाधीन आदेश पारित कर हस्तगत प्रकरण को ओर अधिक लम्बा करने में रेस्पों. का सहयोग किया जा रहा है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पों. वादग्रस्त आराजी के मौका व रेकार्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है। अगर रेस्पों. अपने उक्त मकसद में सफल रहते हैं तो वाद को और बढावा मिलेगा एवं अनावश्यक मुकदमेबाजी को बढेगी। अतः हस्तगत अपील को स्वीकार फरमाने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेबल ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए के तहत उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 21.06.2013 को आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध विप्रार्थीगण द्वारा हाजा न्यायालय में अपील पेश की गई जो निर्णयानुसार अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय को अपास्त करते हुए पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण को पुनः दर्ज कर दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु आदेश किया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया, उक्त अवधि में विप्रार्थी के वकील द्वारा धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र पेश कर न्यायालय के पूर्व आदेश जो अज अदालत द्वारा अपास्त किया जा चुका था कि पालना में भरे गये नामान्तरकरण एवं तरमीम को निरस्त करने का निवेदन किया था। जिसको न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश पूर्णतयाः विधि सम्मत पारित किया गया है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि मूल आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास कर स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2024 को ''पूर्व राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल करने'' के हद तक अपास्त किया जाता है शेष मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश को मूल आवेदन के निस्तारण तक यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अधिकतम दो माह में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के तहत पेश आवेदन का निस्तारण करे। उक्तानुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

26/2/2024

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नवनीत कुमार
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर